संख्या: 58/2025/596/छप्पन-2025-31/2016(Road)

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 जून, 2025

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के कार्यों एवं कार्यों हब हेतु पूर्वी एवं उत्तरी दिशा में कनैक्टिविटी हेतु 30 मीटर चौडी सडक निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए विभिन्न मदों में खर्चे हेतु प्रशासनिक व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 632/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 24 अप्रैल, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के कार्यों एवं कार्गो हब हेतु पूर्वी एवं उत्तरी दिशा में कनैक्टिविटी हेतु 30 मीटर चौडी सडक निर्माण हेतु अन्य मदों में खर्च की जा रही धनराशि के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ताकि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पर व्यय होने वाले के विरत अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं के बिलों का भुगतान किया जा सकें।

2- उल्लेखनीय है कि कि शासनादेश संख्या-06/2019/ 97/छप्पन-2019-31/2016, दिनांक 22 जनवरी, 2019 द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नॉएडा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए रू0 25 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय निर्गत की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-06/2019/ 97/छप्पन-2019-31/2016, दिनांक 22 जनवरी, 2019 के प्रस्तर-2(iv) द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-06/2019/97/छप्पन-2019-31/ 2016, दिनांक 22 जनवरी, 2019 के प्रस्तर-2(iv) द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
''कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नॉएडा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए किया जायेगा।''	''कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नॉएडा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए ***तथा अन्य कार्य जिनके हेतु भूमि अर्जन नागरिक उड्डयन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, उक्त हेतु अर्जन पर आने वाले प्रशासनिक व्यय का उपयोग आवंटित धनराशि से किया जायेगा।''***

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2019 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- उक्त शासनादेश वित्त विभाग द्वारा पत्रावली संख्या 56-1099/390/2019 (कम्प्यूटर संख्या 236890) में प्रदान की गई सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0- 58/2025/596(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
5- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के उनके उक्त पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के सन्दर्भ में।
10- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
12- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।